भारतीय बैंकिंग क्षेत्र: आर्थिक विकास का स्तंभ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत की आर्थिक प्रगति में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र MSMEs को सहयोग देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और वित्तीय समावेशन को गति देने में अग्रणी है।

आर्थिक विकास में योगदान

- **ऋण वृद्धि:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का ऋण मार्च 2024 तक बढ़कर ₹164.3 लाख करोड़ हो गया, जो वार्षिक आधार पर 20.2% की वृद्धि दर्शाता है।
- **कृषि ऋण:** ₹13.3 लाख करोड़ (FY21) से बढ़कर ₹20.7 लाख करोड़ (FY24) तक पहुँचा, जिससे 7.4 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खातों को सहयोग प्राप्त हुआ।
- **वित्तीय स्थिरता:** SCBs का सकल NPA FY24 में घटकर 2.8% पर आ गया, जो पिछले 12 वर्षों का न्यूनतम स्तर है।
- **MSMEs को सहयोग:** कम लागत वाले ऋण ने नवाचार, रोज़गार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया।
  - भारत, चीन के बाद, **ऋणग्राहियों का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाज़ार** है।
- **डिजिटल समावेशन:** 77% वयस्कों के पास अब औपचारिक वित्तीय खाते हैं और FY24 में UPI लेनदेन ₹200 लाख करोड़ तक पहुँच गए।
- **पूंजी बाज़ार विकास:** FY24 में प्राथमिक बाज़ार से पूंजी जुटाना ₹10.9 लाख करोड़ तक पहुँचा। IPO की संख्या FY23 के 164 से बढ़कर FY24 में 272 हो गई।
- **सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाएँ:** जन-धन खातों की संख्या 56 करोड़ से अधिक (जिनमें से 56% महिलाओं के नाम पर), जबकि आयुष्मान भारत के अंतर्गत 34.2 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी हुए (49.3% महिलाओं के नाम पर)।

मुख्य चुनौतियाँ

- **तरलता जोखिम:** ऋण वृद्धि ने **जमा संग्रहण** को पीछे छोड़ दिया है। परिवार अपनी बचत म्यूचुअल फंडों और पेंशन योजनाओं की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं, जिससे बैंकों का **कम-लागत वाला जमा आधार** संकुचित हो रहा है और वे ब्याज़ दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** बढ़ती **डिजिटलाइजेशन से बैंक साइबर हमलों, प्रणालीगत विफलताओं और सोशल इंजीनियरिंग** हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हुए हैं, जिससे वित्तीय एवं प्रतिष्ठागत जोखिम बढ़े हैं।
- **असुरक्षित ऋण:** खुदरा ऋण (retail credit) का तेज़ी से विस्तार, **डिफाल्ट और प्रणालीगत जोखिम** उत्पन्न कर रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

- **पूंजी और जोखिम प्रबंधन:** बेसल-III मानकों और नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता और असुरक्षित ऋणों के लिये मज़बूत जोखिम प्रबंधन मॉडल।
- **डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा:** AI-आधारित जोखिम विश्लेषण (जैसे MuleHunter AI) को बढ़ावा और फिनटेक्स की भागीदारी के माध्यम से दक्षता व सुरक्षा।
- **वित्तीय समावेशन:** प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को बढ़ावा, सह-ऋण व्यवस्था को प्रोत्साहन और (PMJDY, PM-KUSUM जैसी योजनाओं के साथ) डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स का विस्तार।
- **धारणीय वित्तपोषण:** जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करना और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जैसी पहलों से हरित वित्त को बढ़ावा।
- **विनियामकीय उपाय:** PCA, उन्नत पर्यवेक्षण और जोखिम-आधारित ऑडिट के माध्यम से ढाँचागत सुधार।

नरसिम्हन समिति

- **नरसिम्हन समिति(1991)-I:** 4-स्तरीय बैंकिंग प्रणाली का सुझाव, 3-4 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, **सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)** में कमी, 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात और एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड (ARF) की स्थापना।
- **नरसिम्हन II (1998):** मज़बूत सार्वजनिक बैंकों के विलय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा, RBI की भूमिका में सुधार और **ARF/ARCs की स्थापना** का सुझाव।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट

WHO की रिपोर्टों **('वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे' और 'मेंटल हेल्थ एटलस 2024')** के अनुसार, विश्व भर में **1 बिलियन से अधिक लोग मानसिक विकारों से ग्रसित हैं।**

- **13.6% जनसंख्या** मानसिक विकारों से ग्रस्त है; यह प्रसार जनसंख्या वृद्धि (2011–21) के अनुपात में कहीं अधिक तेज़ी से हुआ है।
- **चिंता (Anxiety) और अवसाद (Depression) के मामले** कुल मामलों का लगभग दो-तिहाई हैं; चिंता की समस्या प्रायः आरंभिक आयुवर्ग में देखने को मिलती है, जबकि अवसाद 50–69 आयु वर्ग में अधिक देखा जाता है।
- **20–29 वर्ष के युवा वयस्कों** में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज (**+1.8 प्रतिशत** 2011 के बाद से) की गई है।
- **लैंगिक परिदृश्य**: पुरुषों में– ADHD, ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता; महिलाओं में – चिंता, अवसाद एवं खान-पान संबंधी विकार।
- **आत्महत्या**: वैश्विक स्तर पर प्रति **100 मौतों में 1 आत्महत्या के कारण** है; यह युवाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण है।
- **SDG लक्षित चिंताएँ**: वर्ष 2030 तक आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु की दर में केवल 12% **गिरावट अनुमानित** है, जबकि **सतत विकास लक्ष्य (SDG) के अंतर्गत यह लक्ष्य 33%** है।

भारत में मानसिक विकार

- **प्रसार: 10.6% वयस्क** (NMHS 2015–16); शहरी क्षेत्रों में **13.5%**, ग्रामीण में **6.9%**।
- **उपचारात्मक अंतराल:** 70–92% मामलों में उपचार नहीं हो पाता; कारण – **नकारात्मक सामाजिक धारणा, अपर्याप्त जागरूकता** और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी।
- **मानव संसाधन: 0.75** मनोचिकित्सक प्रति 1 लाख (WHO मानक: **3/1 लाख**)।

नीतियाँ एवं पहल

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP, 1982):** सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण।
- **आयुष्मान भारत:** प्राथमिक व उप-स्वास्थ्य केंद्रों का मानसिक स्वास्थ्य हेतु उन्नयन।
- **NIMHANS अधिनियम (2012):** राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा।
- **RPwD अधिनियम (2016):** मानसिक रोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया; UNCRPD के अनुरूप।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (2017):** मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित; आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017):** प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य पर बल।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS, 2022):** वर्ष 2030 तक आत्महत्याओं में 10% कमी का लक्ष्य; विशेष फोकस – छात्र, किसान, युवा।
- **डिजिटल पहलें:** iGOT-Diksha (2020) प्रशिक्षण हेतु; Tele MANAS (2022) – 20 भाषाओं में निशुल्क 24×7 हेल्पलाइन।

मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता

- **जीवन का अधिकार (अनु. 21):** इसकी उपेक्षा, व्यक्ति की गरिमा व समता का उल्लंघन है।
- **स्वायत्तता:** नकारात्मक सामाजिक धारणाओं एवं बहिष्करण से स्व निर्णयन क्षमता सीमित होती है।
- **अपकार-निरोध का कर्तव्य:** कार्यस्थल, विद्यालय एवं सरकार को तनाव व आत्महत्याओं को कम करना चाहिये।
- **करुणा:** सम्मान एवं समावेशन मानसिक स्वास्थ्य हेतु अनिवार्य।
- **सामूहिक हित:** अनुपचारित मामले उत्पादकता व सामाजिक एकता को प्रभावित करते हैं।.

आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025

यह 1 सितंबर, 2025 को प्रभावी हुआ और इसने चार कानूनों- **पासपोर्ट अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946; तथा आप्रवास (वाहक-दायित्व) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया।**

प्रावधान	विवरण
कठोर दंड	जाली यात्रा दस्तावेज़ों के लिये **2 से 7 वर्ष तक का कारावास + 1 से 10 लाख रुपये का ज़ुर्माना।** वैध प्राधिकार के बिना **प्रतिबंधित क्षेत्रों** में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिये **5 वर्ष तक की सज़ा** या **5 लाख रुपये का ज़ुर्माना।**
अनिवार्य रिपोर्टिंग	होटल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल आदि को **विदेशी नागरिकों का विवरण देना होगा।** **एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को अग्रिम यात्री तथा चालक दल का डेटा** प्रस्तुत करना होगा।

प्रावधान	विवरण
सरकारी नियंत्रण	राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये **केंद्र को विदेशियों द्वारा प्रायः उपयोग किये जाने वाले** परिसरों को विनियमित करने या बंद करने का अधिकार दिया गया है।
आव्रजन ब्यूरो	अब अवैध विदेशियों की **पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने का** वैधानिक **अधिकार है।**

वैश्विक प्रथाएँ

- **अमेरिका :** आतंकवाद से जुड़े वीजा रद्द करने के लिये AI-आधारित ***"कैच एंड रिवोक"*** प्रणाली।
- **ऑस्ट्रेलिया :** सुरक्षा जोखिम पैदा करने वाले गैर-नागरिकों को हिरासत में लेना; निर्वासन संभव न होने तक राज्यविहीन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने पर रोक।
- **खाड़ी देश :** सुरक्षा कारणों से **बड़े पैमाने पर निर्वासन, प्रायः अपील के सीमित विकल्पों के साथ।**

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025

शिक्षा मंत्रालय के **NIRF 2025** के अंतर्गत लगातार **सातवें वर्ष IIT मद्रास** ने **समग्र श्रेणी** में शीर्ष संस्थान के रूप में स्थान प्राप्त किया है, साथ ही **नवाचार, SDGs और इंजीनियरिंग** श्रेणियों में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया।

- **प्रबंधन** में **IIM अहमदाबाद** शीर्ष पर रहा, **विश्वविद्यालय श्रेणी** में **IISc बंगलूरू** प्रथम रहा और **कॉलेज श्रेणी** में **हिंदू कॉलेज** को पहला स्थान मिला।

> **वर्ष 2015** में शुरू की गई यह रैंकिंग **शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन (30%), अनुसंधान (30%), स्नातक परिणाम (20%)** तथा **पहुँच एवं समावेशन** और **सहकर्मी धारणा (प्रत्येक 10%)** के आधार पर की जाती है।

- **7,692 संस्थानों** की **17 श्रेणियों** में रैंकिंग की गई, जिनमें एक नई **SDG श्रेणी** भी शामिल है।

सेशेल्स में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्क्वाड्रन

भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन भारत के **महासागर** *विज़न (क्षेत्र में सुरक्षा के लिये पारस्परिक और समग्र उन्नति)* **के तहत दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र** में एक **लंबी दूरी के प्रशिक्षण मिशन के दौरान सेशेल्स पहुँचा।**

सेशल्स

- **पश्चिमी हिंद महासागर** में **मेडागास्कर** के उत्तर-पूर्व में स्थित **द्वीपीय राष्ट्र।**
- **भूमि क्षेत्र** और **जनसंख्या** की दृष्टि से अफ्रीका का **सबसे छोटा देश।**
- **155 द्वीपों का समूह; माहे** सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधता वाला द्वीप।
- **मास्करीन पठार (हिंद महासागर में स्थित एक जलमग्न पठार) पर स्थित।**